तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/4/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम-11 CPC का इस आशय का पेश किया कि उक्त वाद पत्र पूर्ण रूप से इकरारनामा 18/06/2020 के आधारित है, इकरारनामे के आधार पर प्लाट खरीदना बताया गया है। उसी के आधार पर उक्त वाद पत्र पेश किया गया है। इकरारनामा से सम्बंधित कोई मकान प्लाट का मामला सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकार में आता है। राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। राजस्व न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है, इसलिए प्रा०पत्र आदेश-7, नियम-11 CPC स्वीकार कर अप्रार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश-7, नियम-11 CPC का जवाब पेश नहीं करना चाहते है, सीधे ही जवाब पेश नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये, इकरारनामा के आधार पर प्लाट, मकान खरीद किये जाने सम्बंधित वाद सुनने का क्षेत्राधिकार

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बूंदी (राज०)

प्र.स. .... /दावा/प्र.पत्र/ ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करें वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे।	
	अप्रार्थी/वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम-11 CPC खारिज फरमाया जावे।	
	हमने उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। यहां महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अनरजिस्टर्ड बेचान-नामे के आधार पर वादी के वाद में वर्णित भू-खण्ड भूमि का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं? यहां पर वाद अनरजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 18/6/2020 के आधार पर है जिसको सुनने का अनुतोष सिविल न्यायालय प्रदान कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-207 के तहत ऐसे वादों की सुनवाई राजस्व न्यायालय को वर्जित करती है। जैसा कि RRD 1996 पेज नं० 613 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। विक्रय करार पर आधारित वाद की श्रवणाधिकारिता सिविल न्यायालय को प्राप्त है जैसा कि RRD 1992 पेज नं० 414 में स्थापित किया गया है।	
उपखण्ड अधिकारी बालेड़ा जिला बून्दी (राज०)	उपरोक्त विधि के विवेचन व विश्लेषण के अनुसार उपरोक्त वाद	

Scanned with CamScanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्र राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश- 7, नियम- 11 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी टालेड़ा जिला बूंदी (राज0)

Scanned with CamScanner